राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर–302005)

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3550 जयपुर, दिनांक : 26/8/14

अधिसूचना

सां.आ. 90 / 2014– राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में जारी सां.आ. 62 / 2010 एवं 85 / 2014 को विलोपित किया जाता है तथा सां. आ. 61 / 2009 (एफ.4 (2)(1)पं.चु. / नपा / 94 / 6933 दिनांक 30.12.2009) द्वारा "राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध) आदेश, 2009" जारी किया गया था। जिसके पैरा (6) के परन्तुक (i) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है –

"(i) जिला परिषद सदस्य के चुनाव में अधिकतम 80000 रूपये, पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में अधिकतम 40000 रूपये तथा सरपंच चुनाव में अधिकतम 20000 रूपये के पोस्टर एवं बैनर मुद्रित या तैयार कराये जा सकेंगे और उन्हें प्रदर्शित किया जा सकेगा जिसका लेखा–जोखा संलग्न प्ररूप–क में परिणामों की घोषणा के तीन दिन के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा मनोनीत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा और उक्त अधिकारी प्ररूप–क में लेखा–जोखा प्राप्त होने पर उसे अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर तीन दिन तक प्रदर्शित करेगा। इसके आगामी तीन दिवस में कोई भी इच्छुक व्यक्ति उक्त प्ररूप–क के संबंध में आपत्ति या कोई तथ्य प्रस्तुत कर सकेगा,"

आज्ञा से,

(सत्यप्रकाश बसवाला) 26/8/14
सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर

क्रमांकः एफ. 1(2)(1)नपा–पंचा / सा.आ. / रानिआ / 14 / 3551–60 जयपुर, दिनांक : 26/8/14

प्रतिलिपि निम्नानुसार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, लेखन एवं मुद्रण सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ भेजकर निवेदन है कि इस अधिसूचना को राजस्थान राजपत्र विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें और अधिसूचना की 50 प्रतियां आयोग को उपलब्ध करावें।
4. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान।
5. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अधिसूचना को राजपत्र के विशेषांक के भाग 6 (ग) में तत्काल प्रकाशित करें।
6. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान।
7. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
8. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
9. निजी सहायक, उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
10. समस्त शाखाएं, राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर।
11. गार्ड फाईल।

(अशोक कुमार जैन) 26/8/2014
उप सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
राज., जयपुर